मसाले ऊष्मायन केंद्र, मैसूर में मसाले क्षेत्र के नवप्रवर्तनकारी उत्पादों/प्रक्रमों के विकास के लिए रुचि की अभिव्यक्ति का आमंत्रण (ईओआई)

स्पाइसेस बोर्ड
(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)
सुगंध भवन,
एन.एच. बाई पास,
पालारिवट्टम पीओ,
कोच्ची - 682025,
केरल

मसाले क्षेत्र के नवप्रवर्तनकारी उत्पादों/प्रक्रमों के विकास के लिए रुचि की अभिव्यक्ति का आमंत्रण (ईओआई)

स्पाइसेस बोर्ड ने निर्यातक/स्टार्ट अप/एसएमई/एफपीओ के समर्थन के लिए एक प्रायोगिक कार्यक्रम के रूप में केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान (सीएफटीआरआई), मैसूर में एक 'मसाले उष्मायन केन्द्र' की स्थापना की है जिनके पास मसाले क्षेत्र के उत्पाद/प्रौद्योगिकी/प्रक्रम विकसित करने में मार्गदर्शन / सहायता हेतु समर्थन के योग्य नवप्रवर्तनकारी विचार हैं। पहचाने गए लाभार्थी इस केंद्र का 'इनक्यूबेटीस' बन जाएँगे, जिसमें उन्हें परियोजना अवधि के दौरान सहायता प्रदान की जाएगी, जिसमें कार्यालय स्थान, तकनीकी सहायता, सुसंगत उपस्करों का पहुँच, प्रयोगशाला सुविधाएँ, संसाधन और ज्ञान स्रोत आदि जैसे पहलू शामिल होंगे।

स्पाइसेस बोर्ड मसाला क्षेत्र में नवप्रवर्तनकारी उत्पाद/प्रौद्योगिकी/प्रक्रम के विकास के लिए विचार/ प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए डीपीआईआईटी अधिसूचना के अनुसार मसालों के पंजीकृत निर्यातकों, पंजीकृत एसएमई, पंजीकृत एफपीओ, भारतीय स्टार्ट अप कंपनियों से रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित करता है। चयनित कंपनी/फर्म को सीएफटीआरआई, मैसूर के मसाले ऊष्मायन केन्द्र द्वारा समर्थन प्रदान किया जाएगा।

पात्रता :

डीपीआईआईटी अधिसूचना के अनुसार मसालों के पंजीकृत निर्यातक, पंजीकृत एसएमई, पंजीकृत एफपीओ और भारतीय स्टार्ट-अप कंपनियाँ निर्धारित प्रारूप में ईओआई प्रस्तुत करने के लिए पात्र हैं।

निबंधन और शर्तें

1. विचारों/ संक्षिप्त प्रस्तावों के साथ पात्र उम्मीदवारों से प्राप्त ईओआई प्राथमिक मूल्यांकन के भाग के रूप में ऊष्मायन मूल्यनिरूपण समिति (आईएसी) द्वारा मूल्यांकित किया जाएगा। यदि आवश्यक है तो, समिति को आवेदकों से एक संक्षिप्त प्रस्तुति देने के लिए कह सकती है। आईएसी ईओआई आवेदकों के प्रस्तावों को शोर्टलिस्ट करेगा।

2. शोर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को अनुसंधान एवं विकास कार्य के विवरण, स्थान, कार्य केंद्र, पीसी जैसे अपेक्षित अवसंरचना का विवरण, विशेष यंत्र समर्थन, मार्गदर्शन, प्रत्याशित लाभ/ मसाले क्षेत्र का परिणाम जिसमें निर्यात के लिए योगदान, लक्ष्य, टाइमलाइन, निवेश, प्राप्त या प्राप्त होने वाली वित्त-पोषण सहायता, बौद्धिक संपदा घोषणा आदि के स्पष्ट चित्रण के साथ विस्तृत व्यवहार्य उत्पाद प्रस्ताव (वीपीपी)/योजना प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।

3. शोर्टलिस्ट किए गए आवेदक बोर्ड द्वारा गठित विशेषज्ञों की एक समिति (सीओई) के समक्ष एक विस्तृत प्रस्तुति करेंगे और इनक्यूबेटीस को बोर्ड द्वारा अनुमोदन के लिए मूल्यांकन के आधार पर सिफारिश करेंगे।

4. चयनित इनक्यूबेटीस बोर्ड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे।

5. अनुमोदन और करार पर हस्ताक्षर के बाद, सीएफटीआरआई प्रत्येक चयनित इनक्यूबेटी को मार्गदर्शन करने, समय-समय पर उनकी परियोजना की प्रगति का अनुवीक्षण करने और मसाले क्षेत्र में उनके नवप्रवर्तनकारी उत्पाद / प्रक्रम के विकास के लिए यथासंभव चुनौतियों का समाधान करने में मदद करने के लिए तीन हितकामियों को प्रदान करेगा।।

6. बोर्ड प्रायोगिक अवधि 2023-24 के दौरान तीन इनक्यूबेटियों को सहायता प्रदान करेगा।

7. विशेषज्ञों की समिति (सीओई) परियोजना के दौरान इनक्यूबेटी द्वारा की गई परियोजना की प्रगति और उपलब्धियों का मूल्याँकन करेगी और सुधारात्मक कार्रवाई, यदि कोई हो तो, का सुझाव देगी और बोर्ड को सहायता जारी करने की सिफारिश करेगी।

8. बोर्ड विशेषज्ञों की समिति (सीओई) द्वारा उनके व्यवहार्य परियोजना प्रस्ताव (वीपीपी) के अनुमोदन के अनुसार 12 महीने की ऊष्मायन अवधि के दौरान के कार्यक्रम के तहत प्रति इनक्यूबेटी अधिकतम 10 लाख रुपये के अधीन परियोजना की लागत का 90% सहायता प्रदान करेगा।

9. बोर्ड 12 महीने की ऊष्मायन अवधि के दौरान बिजली, स्थान किराया/कार्यालय सुइट्स, इंटरनेट सुविधा, पुस्तकालय और अन्य सेवाओं के शुल्क के लिए प्रति इनक्यूबेटी अधिकतम 2 लाख रुपये के अधीन सीधे सीएसआईआर-सीएफटीआरआई को भुगतान करेगा जो पात्र सहायता का 20% से अधिक नहीं है। अतिरिक्त शुल्क यदि कोई हो तो, इनक्यूबेटी द्वारा सीधे सीएसआईआर-सीएफटीआरआई को भुगतान किया जाएगा।

10. बोर्ड परियोजना के अनुसंधान और विकास की लागत के लिए इनक्यूबेटी को अधिकतम 8 लाख रुपये के अधीन पात्र सहायता का शेष 80 प्रतिशत, प्रदान करेगा अर्थात् सीएफटीआरआई को देय प्रस्तावित अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों के लिए सीएफटीआरआई द्वारा अपेक्षित और प्रमाणित रसायनों / अन्य उपभोग्य सामग्रियों की लागत, एक अनुसंधान या परियोजना सहायक की लागत, आवश्यक परिष्कृत उपकरणों का उपयोग करने के लिए शुल्क, प्रयोगशाला शुल्क, अग्रगामी संयंत्र परामर्श शुल्क, आदि, प्रति इनक्यूबेटी के प्रति केस के आधार पर एक अग्रगामी प्लांट की लागत, उत्पाद/प्रचार साहित्य की छपाई और बाजार में विकसित उत्पाद/प्रक्रम को लॉन्च करने के लिए नमूनों के वितरण सहित विपणन व्यय, आदि।

11. बोर्ड प्राप्त प्रगति के आधार पर और विशेषज्ञों की समिति (सीओई) की सिफारिश के अनुसार तिमाही आधार पर विधिवत प्रमाणित बिल/वाउचर के साथ व्यय विवरण की प्रस्तुति के आधार

पर इनक्यूबेटी को प्रतिपूर्ति के रूप में सहायता संवितरित करेगा। यदि इनक्यूबेटी को पेशगी की अपेक्षा है तो, बोर्ड करार पर हस्ताक्षर करने के बाद समतुल्य राशि के लिए बैंक प्रत्याभूति प्रस्तुत करने पर अधिकतम 2.00 लाख रुपए के अधीन इनक्यूबेटी को सहायता का 25 प्रतिशत पेशगी के रूप में प्रदान करेगा। यदि पेशगी का भुगतान किया जाता है, तो इसे तिमाही प्रतिपूर्ति से वसूल किया जाएगा।

12. अग्रगामी योजना के तहत एक इनक्यूबेटी को समर्थन/सहायता की अवधि 12 महीने है। बोर्ड इनक्यूबेटी से ऐसा अनुरोध प्राप्त होने पर, इनक्यूबेटी द्वारा प्राप्त प्रगति के आधार पर और सीओई की सिफारिश के आधार पर 6 महीने तक का विस्तार दे सकता है। ऐसे मामलों में, इनक्यूबेटियों को उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं/सेवाओं के लिए सीएफटीआरआई द्वारा निर्धारित शुल्क के भुगतान के अधीन मसाला ऊष्मायन केन्द्र की सुविधाओं का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी।

13. चयनित इनक्यूबेटीस सीएफटीआरआई, मैसूर में ऊष्मायन के दौरान सीएफटीआरआई के दिशानिर्देशों/प्रक्रियाओं का पालन करेंगे।

14. ईओआई को साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज़

क) पत्रशीर्ष में विधिवत हस्ताक्षरित ईओआई आवेदन पत्र (संलग्नक 1)।
ख) कंपनी/फर्म की संक्षिप्त प्रोफ़ाइल जिसमें की गई गतिविधियाँ, निपटा गए मसाले आदि शामिल हैं।
ग) पंजीकरण/निगमन प्रमाणपत्र/या किसी अन्य सुसंगत दस्तावेज़ की प्रति।
घ) पैन की प्रति
ङ) जीएसटी पंजीकरण की प्रति
च) मसाले निर्यातक के लिए सीआरईएस की प्रति, पंजीकृत एमएसएमई के लिए एमएसएमई पंजीकरण प्रमाणन की प्रति, एफपीओ के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति और स्टार्ट अप के लिए मान्यता प्रमाण पत्र की प्रति।
छ) मसाला क्षेत्र में नवप्रवर्तनकारी उत्पादों/प्रक्रमों के विकास के विचार/प्रस्ताव का संक्षिप्त विवरण (3 पृष्ठ से अधिक नहीं)

15. अपेक्षित दस्तावेजों के साथ ईओआई आवेदन 16.08.2023 को शाम 5.30 बजे या उससे पहले निम्नलिखित पते पर पहुंच जाना चाहिए।

निदेशक (विपणन), स्पाइसेस बोर्ड,
एनएच बाई पास, पालारिवट्टम
कोच्ची-682 025, केरल
ई-मेल: dm.sb-ker@gov.in

16. जो लोग ई-मेल के द्वारा ईओआई प्रस्तुत कर करे हैं उन्हें भौतिक प्रति अंतिम तारीक के पहले उपरोक्त पते पर डाक/कूरियर द्वारा भेजनी चाहिए।

17. अंतिम तिथि और समय के बाद प्राप्त ईओआई को मामले पर कोई और संचार दिए बिना अस्वीकार कर दिया जाएगा।

18. स्पाइसेस बोर्ड किसी भी अतिरिक्त जानकारी माँगने का अधिकार रखता है।

19. यदि फर्म द्वारा प्रस्तुत की गई कोई भी जानकारी किसी भी स्तर पर गलत पाई जाती है, तो फर्म को अपात्र घोषित कर दिया जाएगा।

20. बोर्ड को बिना कोई कारण बताए किसी या सभी ईओआई को अस्वीकार करने का अधिकार होगा।

21. स्पाइसेस बोर्ड किसी भी स्तर पर प्रक्रम को रोकने या वापस लेने का अधिकार रखता है। साथ ही बोर्ड इस दस्तावेज़ के किसी या सभी व्यवस्थाओं को परिवर्तित/आशोधित/संशोधित/रद्द करने का अधिकार रखता है। ईओआई के ऐसे पुनरीक्षणों को स्पाइसेस बोर्ड की वेबसाइट और ई-अधिप्राप्ति पोर्टल पर उपलब्ध कर दिए जाएँगे। ईओआई की भागीदारी के लिए फर्मों को कोई शुल्क का दावा नहीं किया जा सकता/भुगतान नहीं किया जाएगा।

22. मसाले ऊष्मायन के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न हो तो सचिव, स्पाइसेस बोर्ड, कोच्ची-25 द्वारा निपटाया जाएगा जो अंतिम और बाध्यकारी होगा।

निदेशक(विपणन)

फाइल सं: विपणन/ओसआईबी/1/2022   दिनांक 11.07.2023 से जारी

संलग्नक 1

ईओआई आवेदन पत्र (पत्रशीर्ष में प्रस्तुत किया जाना है)

क्रमांक	विवरण	ब्योरा
1.	आवेदन फर्म/कंपनी का नाम एवं पता (कृपया निगमन/पंजीकरण का प्रमाणपत्र संलग्न करें)	
2.	श्रेणी (श्रेणी पर सही का निशान लगाएँ और प्रति संलग्न करें)	मसालों का पंजीकृत निर्यातक पंजीकृत एसएमई पंजीकृत एफपीओ डीपीआईआईटी अधिसूचना के अनुसार भारतीय स्टार्ट अप कंपनियाँ
3.	प्राधिकृत हस्ताश्ररकर्ता का नाम, पदनाम, पता, फोन नं. और ई-मेल आईडी	
4	जीएसटी पंजीकरण संख्या (कृपया प्रति संलग्न करें)	
5	कंपनी/फर्म का पैन नं (कृपया प्रति संलग्न करें)	
6	कंपनी का कुल बिक्री	
7.	कंपनी/फर्म द्वारा की गई गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण	की गई गतिविधियों, निपटाए गए मसाले, तकनीकी कर्मचारियों सहित कर्मचारियों का संख्या, उपलब्ध सुविधाएँ, सामना की गई चुनौतियाँ आदि का संक्षिप्त विवरण।
8	ऊष्मायन के लिए नवप्रवर्तनकारी उत्पाद/ प्रक्रम के विकास के लिए नवप्रवर्तनकारी विचार/ प्रस्ताव का विवरण	(कृपया विकास के लिएविचार/ प्रस्ताव, अनन्यता / नयी सोच, कार्यप्रणाली, निर्यात में योगदान सहित मसाले क्षेत्र की लगभग लागत और परिणाम/हितलाभ आदि के बारे में एक संक्षिप्त आलेख संलग्न करें)
9	किसी अन्य सुसंगत जानकारी	

मैं/हम घोषणा करती/करता हूँ/करती हैं/करते हैं कि इस फॉर्म में मेरे/हमारे द्वारा प्रदान की गई सभी जानकारी मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सत्य है, और इस जानकारी के आधार पर स्पाइसेस बोर्ड द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय मेरे/हमारे द्वारा स्वीकार किया जाएगा। मैं/हम इस संबंध में अपेक्षित कोई भी अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध कराने का भी वचन देती/देता हूँ/देती हैं/ देते हैं।

मैं/हम एतदद्वारा सत्यनिष्ठा से पुष्टि और घोषणा करती/करता हूँ/करती हैं/करते हैं कि व्यक्ति/फर्म/कंपनी को किसी भी सरकारी विभाग/पीएसयू/स्वायत्त निकाय/निजी संगठन द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया है। इसके अलावा, किसी भी सरकारी विभाग/पीएसयू/स्वायत्त निकाय/निजी संगठन या न्यायालय द्वारा हमारे खिलाफ कोई मुकदमेबाजी जांच लंबित नहीं है और/या शुरू नहीं की गई है।

मैंने/हमने मसाला क्षेत्र में नवीन/प्रसंस्कृत उत्पादों के विकास के लिए अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) के निबंधन और शर्तों को पढ़ और समझ लिया है और इसके द्वारा इसकी सामग्री का पालन करना स्वीकार करता हूँ/करती हैं/करते हैं।

(प्राधिकृत प्रतिनिधि का हस्ताक्षर)
पूरा नाम:
पद:
फर्म का नाम एवं पता:
मोहर:

स्थान:
तारीख: